In the court of ACJM-I, Bagaha, West Champaran
Chautarawa Ps Case No-527/2020

19.06.2021 काराधीन अभियुक्त राहुल गिरी की ओर से अधिवक्ता नियुक्ति पत्र साथ जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। आवेदन की प्रति विद्वान अनु0लो0अभि0पदा0 को दी गई है। विडियों कान्फ्रेसिंग के माध्यम से दाखिल जमानत आवेदन परिचालित किया गया है।

जमानत आवेदन का परिचालन करते हुए बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक निर्दोष है तथा किसी भी प्रकार का अपराध कारित नहीं किया है। आरोपित धारा आवेदक पर लागु नहीं होता है। आवेदक के विरूद्ध आरोपित धारा के अन्तर्गत कोई भी साक्ष्य नहीं है। आवेदक दिनांक 28.05.2021 से इस वाद के अन्तर्गत काराधीन है। अतः आवेदक को जमानत दी जाए।

विद्वान अनु0लो0अभि0पदा0 ने जमानत का विरोध किया।

सुना। वाद का अवलोकन किया। अभियुक्त के विरूद्ध धारा 363,365,379,504 भा0द0वि0 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध सूचक के लड़के को बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप है। ऐसी परिस्थिति में आवेदक को जमानत देना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतएव, जमानत आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित

अपरमु0न्या0दण्डा0-I